प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 21 मई, 2026

विषय:- जिला कारागार, उरई में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रतन माली पुत्र श्री किशोर माली, निवासी जनपद-जालौन की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-35274/प्रो0-3-फार्म-ए/(एम-25.08.2025), दिनांक 08.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, उरई में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रतन माली पुत्र श्री किशोर माली (दिनांक 23.08.2024 तक बंदी की आयु 63 वर्ष) जैसारी कला थाना-डकोर, जनपद-जालौन का निवासी है। पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 18.08.1979 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूकों से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सत्र सपरीक्षण संख्या-222/1979 में भा0द0वि0 की धारा-364, 302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-04, जालौन स्थान उरई के आदेश दिनांक 30.08.1980 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 04.08.2003 द्वारा धारा-364 के साथ-साथ धारा-302/34 को संशोधित करते हुए धारा-302/149 के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया एवं मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 03.08.2010 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 23.08.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 03 माह, तथा सपरिहार 18 वर्ष, 01 माह, 09 दिन की सजा भोगी गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 18.08.1979 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूकों से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, जालौन की आख्या/संस्तुति के अनुकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रतन माली पुत्र श्री किशोरी माली को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, उरई में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रतन माली (बंदी संख्या-48397) पुत्र श्री किशोर माली, निवासी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जनपद-जालौन के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-559/2026/1925 (1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जालौन।
2- पुलिस अधीक्षक, जालौन।
3- अधीक्षक, जिला कारागार, उरई।
4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-
5- 529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज को क्रिमिनल मिस रिट पिटीशन संख्या-9054/2026 रतन माली बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2026 के अनुपालन में उक्त आदेश से मा0 उच्च न्यायालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
7- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-559/2026/1925/22-2-2025-17(564)/2024

दिनांक 21 मई, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, उरई में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रतन माली पुत्र श्री किशोर माली (दिनांक 23.08.2024 तक बंदी की आयु 63 वर्ष) जैसारी कला थाना-डकोर, जनपद-जालौन का निवासी है। पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 18.08.1979 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूकों से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सत्र सपरीक्षण संख्या-222/1979 में भा0द0वि0 की धारा-364, 302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-04, जालौन स्थान उरई के आदेश दिनांक 30.08.1980 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 04.08.2003 द्वारा धारा-364 के साथ-साथ धारा-302/34 को संशोधित करते हुए धारा-302/149 के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया एवं मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 03.08.2010 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 23.08.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 03 माह, तथा सपरिहार 18 वर्ष, 01 माह, 09 दिन की सजा भोगी गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 18.08.1979 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूकों से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, जालौन की आख्या/संस्तुति के अनुकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रतन माली पुत्र श्री किशोरी माली को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।